30/7/24.	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188. राज० काश्तकारी अधि० प्रस्तुत किया है। पत्रावली साक्ष्य के अभाव में बहस हेतु नियत थी। प्रतिवादीगणों की तरफ से अधिवक्ता या प्रतिवादीगण

...कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम — श्रीमति किसरदेवी बनाम कन्हैयाराम

संख्या 6(?)-73/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30/7/24	स्वयं हाजिर नहीं। वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पोरमे बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड के अवलोकन पर हम पाते हैं कि वादी ने यह वाद, वाद-पत्र की मद संख्या -1 में उल्लेखित कृषि भूमि, (जिसमें वादीगण 1/24 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं) में निर्मित ट्यूबवैल मय विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 18100023 में वादीगण को 1/2 हिस्से का स्वामी/मालिक घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है धारा 88, राज० काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार।" कोई व्यक्ति जो आसामी या सह-आसामी होने का दावेदार है, घोषणा करवाने के लिए [signature]	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

श्रीमति विमला देवी / आदि बनाम राज्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या प्रथम - 73/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	30/7/24	अथवा ऐसी संयुक्त काश्तकारी में अपने हिस्से की घोषणा करवाने के लिए दावा कर सकेगा।" 2) "खुदकाश्त का आसामी इस घोषणा के लिए दावा कर सकेगा कि वह खुदकाश्त का आसामी है।" 3) "शिकमी - आसामी ऐसे व्यक्ति पर जिससे लेकर वह भूमि धारण करता है यह घोषणा करवाने के लिए दावा कर सकेगा कि वह शिकमी-आसामी है।" 4) "राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी ऐसे व्यक्ति पर जो किसी भूमि क्षेत्र का आसामी या सह आसामी अथवा खुदकाश्त का आसामी या शिकमी आसामी होने का दावा करता है, उसके अधिकार की घोषणा के लिए दावा कर सकेगा।" (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर ... प्रथम — श्रीमति [illegible] देवी/[illegible]

वाद संख्या 6/[illegible] - 7/3/2021

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/7/24	वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं वाद-पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर वादीगण पहले से ही रिकॉर्डेड खातेदार हैं। खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष धारा-88, राज० काश्तकारी अधिनियम में cover नहीं होता है। वादी ने जो विद्युत कनेक्शन खाता सं. 181000 23 के 1/2 हिस्से में वादीगण का नाम जोड़ने का अनुतोष चाहा है, वह अनुतोष धारा-88, राज० काश्तकारी अधि० में देय नहीं है। अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30/7/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर ... प्रथम	